रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 144] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 1973/ज्येष्ठ 25, 1895

No. 144] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 1973/JYAISTHA 25, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 15th June 1973

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the period April* 1973—*March* 1974 (*Amendment No.* 20).

No. 99-ITC(PN)/73.—Attention is invited to Ministry of Commerce Public Notice No. 92-ITC(PN)/73, dated 11-6-1973, according to which the licensing authorities may, on request, allow the facility regarding the grant of letters of authority in the case of canalised items of iron and steel, subject to certain conditions and restrictions.

2. As provided in the aforesaid Public Notice, stainless steel in any form will continue to be excluded from the facility regarding issue of letters of authority. It has further been decided that the tinplate and tinplate waste will also remain excluded from this facility. In respect of these items, only release orders will be issued if otherwise admissible under the import policy for Registered Exporters.

S. G. BOSE MULLICK,

Chief Controller of Imports & Exports.

सार्वजनिक सूचना

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 15 जून, 1973

विषय :—अप्रैल 1973–मार्च 1974 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन स० 20)

संख्या : 99–आई० टी० सी० (पीएन)/73.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 92–आई टी सी (पी एन)/73, दिनांक 11–6–73 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसके अनुसार लाइसेन्स-प्राधिकारी, आवेदन प्राप्त होने पर, लोहा तथा इस्पात की सरणीबद्ध मदों के मामले में प्राधिकारी पत्रों की मंजूरी के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन सुविधा दे सकते हैं।

2. जैसा कि पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना में दिया हुआ है, जंगविरोधी इस्पात किसी भी आकार में प्राधिकार पत्रों के निर्गमन से सम्बन्धित सुविधा से वंचित रहेगा। आगे यह निश्चय किया गया है कि टिनप्लेट और टिनप्लेट वेस्ट वस्ट भी इस सुविधा से वंचित रहेंगे। यदि पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत अन्य सब प्रकार से स्वीकरणीय हुए तो इन मदों के सम्बन्ध में केवल रिहाई आदेश जारी किए जाएंगे।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973